न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 40/2026 बउनवानी गोपाल लाल शर्मा बनाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
पुत्र श्री शंकर शर्मा निवासी जे.पी. कॉलोनी गली नम्बर 02 मकान नम्बर 42, रंगपुर रोड गंगापुर सिटी

GCMS No-2026/57

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
25.3.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 8.1.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.12.2025 को मुआवजा राशि 1,26,69,101/–रू प्राप्त करने के संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को दिये गये आवेदन पत्र जो जरिये पत्र क्रमांक 1174 दिनांक 31.12.2025 से अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को भिजवाया गया है पर अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना प्रति।** "अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2026/1265 दिनांक 23.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना-पत्र दिनांक 8.1.2026 मे चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि आवक जावक शाखा की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.12.2025 से 7.4.2026 तक पत्र प्राप्ति पंजिका मे दर्ज होना अंकित नही पाया गया है। इस प्रकार चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 8.1.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना से संबंधित पत्र क्रमांक 1174 दिनांक 31.12.2025 अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय मे प्राप्त नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है किन्तु उक्त पत्र अति0 जिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने का कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि जिला कार्यालय के उक्त पत्रां 1174 दिनांक 31.12.2025 को पुनः तलाश करवाया जाकर पत्र पर की गयी कार्यवाही के संबंध मे अपीलान्ट को जानकारी उपलब्ध करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner